

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(A Central University Established by the Central Universities Act 2009 No.25 of 2009)

क्रमांक 1533 / छात्रकल्याण/2011

बिलासपुर, दिनांक : 20.9.2011

॥ कार्यालयीय ज्ञाप ॥

विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं एवं शिक्षकों एवं कर्मचारियों के आवागमन हेतु नेहरू चौक से विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग तक बसों की सुविधा उपलब्ध करायी गई है। उक्त बसों की समय सारिणी निम्नानुसार है :-

नेहरू चौक से विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय से नेहरू चौक
01. प्रातः 07:30, प्रातः 07:35	प्रातः 10:45
02. प्रातः 08:05, प्रातः 08:10	दोपहर 12:05
03. प्रातः 08:40, प्रातः 08:45	दोपहर 12:30, दोपहर 12:35
04. प्रातः 09:25, प्रातः 09:30	दोपहर 01:00, दोपहर 01:05
05. प्रातः 10:05, प्रातः 10:10	दोपहर 01:30, दोपहर 01:35
06. प्रातः 11:30,	दोपहर 02:00, दोपहर 02:05
07. दोपहर 01:15	दोपहर 02:30, दोपहर 02:35
	दोपहर 03:15, दोपहर 03:20
	दोपहर 03:45, दोपहर 03:50
	सायं 04:10, सायं 04:15
	सायं 04:50, सायं 05:00
	सायं 05:35, सायं 05:40
	सायं 06:30

टीप :-

01. छात्र/छात्राओं की संख्या के आधार पर बसों के फेरों में बढ़ोतरी या कटौती की जा सकती है।
02. विश्वविद्यालय की सभी बसें गंतव्य स्थान के लिए खड़ी होने पर 05 मिनट के अन्तराल में खाना होंगी।
03. वाहनों के खराबी/सड़कों में जाम की स्थिति होने पर वाहनों के समय में परिवर्तन अपेक्षित है।
04. प्रातः 07:30 एवं 7:35 में नेहरू चौक से विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय से नेहरू चौक 12:05 एवं सायं 04:15 के लिए मात्र छात्राओं के लिए पृथक से बस सुविधा अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उपलब्ध रहेगी।
05. विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से छात्र/छात्राओं के लिए बस की व्यवस्था उपलब्ध कराने पर छात्र/छात्राओं के बैठक की व्यवस्था पृथक-पृथक की गई है। उक्त व्यवस्था के उल्लंघन करने पर स्वयं दण्ड के लिए जिम्मेदार होंगे।

यह व्यवस्था तत्काल प्रभावशील होगी।

आदेशानुसार

अधिष्ठाता-छात्रकल्याण

पृ0 क्रमांक 1534 / छात्रकल्याण/2011

बिलासपुर, दिनांक : 20.9.2011

प्रतिलिपि :-

01. कुलपति/उप-कुलपति के सचिव/शीघ्रलेखक को कुलपति जी/उप-कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
02. कुलसचिव के निज सहायक की ओर कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
03. अधिष्ठाता छात्रकल्याण/कुलानुशासक/मुख्य छात्रावास अधीक्षक की ओर सूचनार्थ।
04. समस्त विभागाध्यक्ष शैक्षणिक/गैरशैक्षणिक विभाग की ओर सूचनार्थ।
05. प्रभारी, वाहन प्रकोष्ठ को सूचनार्थ।
06. संबंधित वाहन चालकों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
07. सूचना फलक।

अधिष्ठाता-छात्रकल्याण